कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष
आयुक्तालय जोधपुर

Phone No.0291-2650778-779/100/112

9530440800

jodhpurpolice | @cp_jodhpur | CP Jodhpur

प्रेस नोट
(दिनांक 13.02.2026)

- **अपराध नियंत्रण व यातायात नियमों कि पालना के लिए सघन नाकाबंदी अभियान।**
- **शराब पीकर वाहन चलाने वालों व यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्यवाही।**

श्री ओम प्रकाश पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 12.02.2026 को वक्त 07:00 पीएम से 10:00 पीएम तक पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में चिह्नित स्थानों पर "ए" श्रेणी हथियारबंद नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चैकिंग अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में श्री विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त जिला पश्चिम व श्रीमती पीडी नित्या पुलिस उपायुक्त जिला पूर्व के सुपरविजन तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तगण व सहायक पुलिस आयुक्तगण के निकटतम सुपरविजन में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में चिह्नित स्थानों पर "ए" श्रेणी हथियारबंद नाकाबंदी कर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों का 60 पुलिस एक्ट में, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध 185 एमवी एक्ट व बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले चालकों, तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध ,रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चालकों, बिना नंबरी वाहन,बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों, बंपर लगे वाहनों, काला शीशे लगे वाहनों का यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एमवी एक्ट में चालान कार्यवाही करने तथा विशेष रूप से हरियाणा व पंजाब पासिंग के हल्के व भारी वाहनों को चैकिंग के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु नाकाबंदी चिह्नित स्थानों पर रवाना किया गया।

नाकाबंदी कार्यवाही-

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में लगातार तीन घंटों तक चिह्नित स्थानों पर "ए" श्रेणी हथियारबंद नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चैकिंग अभियान के दौरान जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों का 60 पुलिस एक्ट में **08** कार्यवाही , शराब पीकर वाहन चलाने वाले **18** चालको के विरूद्ध 185 एमवी एक्ट, तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वाले **02** चालकों, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले **17** चालकों, **09** बिना नंबरी वाहन, तेज आवाज में सायरन बजाने वाले **03** वाहन चालकों ,बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले **48** चालकों ,मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध **09** कार्यवाही, **21** काला शीशे लगे वाहनों का यातायात नियम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एमवी एक्ट में चालान कार्यवाही की तथा हरियाणा व पंजाब पासिंग के हल्के व भारी **31** वाहनों की सघन चैकिंग की गई।

रात्रिकालीन गश्त कार्यवाही-

रात्रिकालीन गश्त के दौरान **161**संदिग्ध वाहनों की चैकिंग,शराब पीकर वाहन चलाने वाले **05**चालकों के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट में चालान कार्यवाही, राजकोप ऐप द्वारा **97** व्यक्तियों का फोटो मिलान की गई। तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अन्य एमपी एक्ट में **25** चालान कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष
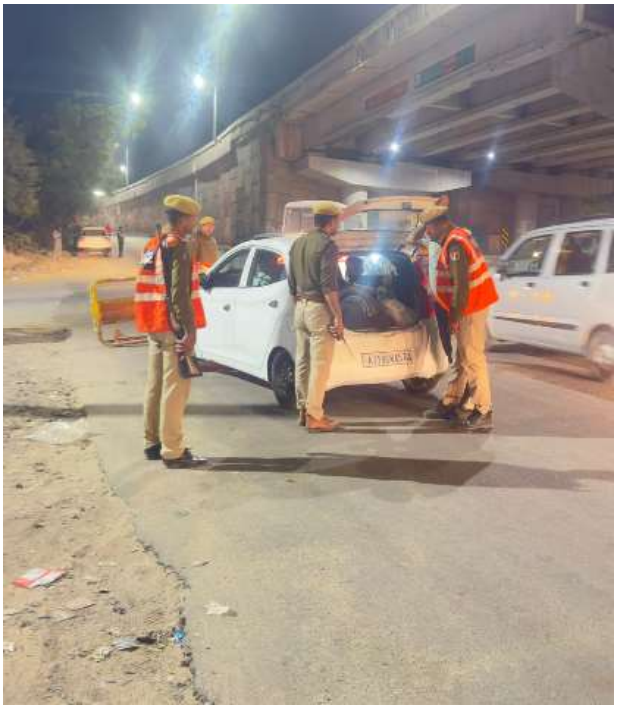
आयुक्तालय जोधपुर